न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/179 दायरा दिनांक : 20.10.2022

उनवान

1. मोहनलाल पुत्र स्व० रामलाल माली, निवासी मोतीपुरा, तहसील मांगरोल
2. ओमप्रकाश पुत्र स्व० रामलाल माली, निवासी मोतीपुरा, तहसील मांगरोल
3. हेमराज पुत्र स्व० रामलाल माली, निवासी मोतीपुरा, तहसील मांगरोल
4. जगदीश पुत्र स्व० रामलाल माली, निवासी मोतीपुरा, तहसील मांगरोल
5. रामेश्वर पुत्र स्व० रामलाल माली, निवासी मोतीपुरा, तहसील मांगरोल
6. शंकरलाल पुत्र स्व० रामलाल माली, निवासी मोतीपुरा, तहसील मांगरोल
7. ललिताबाई पुत्री स्व० रामलाल माली, निवासी मोतीपुरा, तहसील मांगरोल
8. जानकीबाई पत्नि स्व० रामलाल माली, निवासी मोतीपुरा, तहसील मांगरोल
9. प्रभूलाल पुत्र दोला, जाति माली, निवासी मोतीपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1. मदनलाल पुत्र किशनलाल, जाति माली, निवासी मोतीपुरा, तहसील मांगरोल
2. प्रेमचंद पुत्र किशनलाल, जाति माली, निवासी मोतीपुरा, तहसील मांगरोल
3. घीसीबाई पुत्री किशनलाल, जाति माली, निवासी मोतीपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां राज०
4. भैरूलाल पुत्र छीताराम, जाति माली, निवासी मोतीपुरा, तहसील मांगरोल
5. मांगीलाल पुत्र छीताराम, जाति माली, निवासी मोतीपुरा, तहसील मांगरोल
6. भगवतीबाई पुत्री छीताराम, जाति माली, निवासी मोतीपुरा, तहसील मांगरोल
7. कन्याबाई पत्नि छीताराम, जाति माली, निवासी मोतीपुरा, तहसील मांगरोल
8. धन्ना पुत्र मन्नालाल, जाति माली, निवासी मोतीपुरा, तहसील मांगरोल
9. मथुरा पुत्र मन्नालाल, माली, निवासी मोतीपुरा, तहसील मांगरोल
10. मूलीलाल पुत्र मन्नालाल, जाति माली, निवासी मोतीपुरा, तहसील मांगरोल
11. जडावबाई पुत्री मन्नालाल, जाति माली, निवासी मोतीपुरा, तहसील मांगरोल
12. कंचन पुत्री मन्नालाल, जाति माली, निवासी मोतीपुरा, तहसील मांगरोल
13. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री कमलदीप सिंह अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री मदनलाल गालव अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 3 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 08.08.2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 426/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1, 2 व 3 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण के शामलाती खाते की आराजी खसरा नं. 463 रकबा 0.35 हेक्टर, खसरा नं. 467 रकबा 0.89 हेक्टर, खसरा नं0 561 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नं. 585 रकबा 2.30 हेक्टर, खसरा नं. 588/757 रकबा 0.10 हेक्टर, खसरा नं. 589 रकबा 1.00 हेक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 4.70 हेक्टर वाके ग्राम भगवानपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां राजस्थान में खाता संख्या 215 पर दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें वादीगण का हिस्सा सम्पूर्ण खाते में 1/4 निहित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.2019 से वादीगण के पक्ष में 1/4 हिस्से की प्राथमिक डिक्री घोषित की, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।
3. अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पोडेंट कम 1 ता 3 द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 89 राज०टी०एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रतिवादीगण/अपीलान्ट्स की तलबी हो गई थी तथा पत्रावली वास्ते जवाब नियत थी। दिनांक 06/03/2018 को बिना अपीलान्ट/प्रति० का जवाब लिए पत्रावली में अपीलान्ट्स के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी एकपक्षीय में नियत कर दी गई तथा दिनांक 17/12/2019 को मात्र वादी/रेस्पोडेंट कम 1 के बयान लेखबद्ध कर पत्रावली में बहस सुनकर प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई है जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट्स का जवाब दावा प्रस्तुत न हो पाने के कारण यह उक्त वाद में अपना पक्ष व आपत्तियों प्रस्तुत नहीं कर सके है जिससे अपीलान्ट्स न्याय प्राप्ति से वंचित रहे हैं। डिक्री एंव निर्णय दिनांक 23/12/2019 अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून, पत्रावली पर मौजूद तथ्यो एव कानूनी मान्यता प्राप्त सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उक्त प्राथमिक डिक्री से अपीलान्ट्स का हिस्सा आराजी वादी/रेस्पोडेंट कम 1 ता 3 के खाते दर्ज कर दिया गया है जिससे अपीलान्ट्स के वैधानिक अधिकार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए है। इसलिए निर्णय एव डिक्री अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अपीलान्ट्स के विरुद्ध एकतरफा हो जाने एवं जवाब दावा एव आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण वे अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में नहीं रख पाये है और पारिवारिक सजरा देखने से ही स्पष्ट है कि अपीलान्ट्स 1/2 हिस्सा आराजी के खातेदार कृषक है तथा वादीगण/रेस्पो० कम 1 ता 3 हिस्सा 1/6 के खातेदार है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में 1/4 हिस्सा आराजी दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया गया है साथ ही निवेदन है कि अपीलान्ट्स व रेस्पोन्डेन्ट्स के खाते की पैत्रिक आराजी वाके माल ग्राम बोरदा व ग्राम भगवानपुरा, तहसील मांगरोल में स्थित है तथा वादीगण/रेस्पो० कम 1 ता 3 द्वारा मात्र भगवानपुरा की आराजी के विरुद्ध

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

वाद प्रस्तुत कर गलत रूप से हिस्सा 1/4 के खातेदार घोषित करवा लिया गया है, इसलिए निर्णय अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स/प्रतिवादी क्रम 1 ता 9 स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय/डिक्री दिनांक 23/12/2019 निरस्त फरमायी जावे तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवायी हेतु रिमाण्ड फरमायी जावे।

4. अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 23.12.2019 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।
5. अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।
6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अपील मेमो में पारिवारिक सजरा पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय में किशनलाल के वारिसों ने दावा पेश किया था। जमाबंदी संवत 2041–2063 के आधार पर 1/2 हिस्सा प्राप्त करने हेतु दावा किया। हमें सुना नहीं गया और प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी। हमें जानकारी होने पर एक्सपार्टी set side का प्रार्थना पत्र पेश किया जो खारिज हुआ। अपीलांट व रेस्पोडेंट के पूर्वजों की दो ग्राम भगवानपुरा और बोरदा में आराजी है। आर्डर 2 नियम 2 सी.पी.सी. में पैतृक सम्पत्ति के बंटवारे का दावा लाने पर सम्पूर्ण आराजी का दावा लाना होगा, जबकि एक ही गांव की आराजी का दावा किया गया है। सैटलमेंट जमाबंदी सम्वत 2014 से 2023 में किशना, अमरा, घासी व दोला पुत्र चेना करके 1/4 हिस्सा कर दिया। ग्राम बोरदा की जमाबंदी संवत 2002 में मेना 1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज है। हमें जवाबदेही का अवसर नहीं मिला, साक्ष्य व रिकार्ड पेश करने का अवसर नहीं मिला। अपीलांट 1/2 के हिस्सेदार रहेगे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो प्रारम्भिक डिक्री जो 1/4 हिस्से की जारी हुई है वह गलत है। अतः निर्णय खारिज कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने पुनः बहस में कथन किया कि हमने धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 25.10.2016, 15.03.2017 व 28.06.2017 को प्रतिवादी क्रम 2 ओम प्रकाश के खिलाफ एक्स पार्टी की गई। आर्डर 9 नियम 13 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र खारिज होने व निगरानी नहीं करने से हमारा अपील का राइट खत्म नहीं होता। अतः अपील स्वीकार की जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.एल.डब्ल्यू. 2005 (3) एस.सी. पेज 399, 2011 (2) आर.आर.टी. पेज 833 की नजीर पेश की।
7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट द्वारा जो जमाबंदियां बता रहे हैं वह अपील मेमो में पेश नहीं है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अपीलांट के कथनों का आधार नहीं है केवल कथन कर रहे हैं। ग्राम भगवानपुरा का दावा है। अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थिति के बाद एक्सपार्टी हुई है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कई अवसर दिये गये हैं। आर्डर 9 नियम 13 सी.पी.सी. का

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रार्थना पत्र खारिज हुआ जो सही है तो मूल दावे के निर्णय की अपील नहीं कर सकते, निगरानी में जा सकते थे। धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश नहीं टाईमबार्ड है। अतः अपील खारिज की जावे।

8. अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
9. हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।
10. अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल में वादी/रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 3 द्वारा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण एक वाद इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते की आराजी खसरा नं. 463 रकबा 0.35 हेक्टर, खसरा नं. 467 रकबा 0.89 हेक्टर, खसरा नं. 561 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नं. 585 रकबा 2.30 हेक्टर, खसरा नं. 588/757 रकबा 0.10 हेक्टर, खसरा नं. 589 रकबा 1.00 हेक्टर कुल किता 6 रकबा 4.70 हेक्टर वाके ग्राम भगवानपुरा, तहसील मांगरोल में खाता संख्या 215 पर दर्ज राजस्व रेकार्ड है जिसमें वादीगण का हिस्सा सम्पूर्ण खाते में 1/4 निहित है। सेटलमेंट के पश्चात जो जमाबंदी संवत 2050–53 बनाई गयी उसमें राजस्व कर्मचारियों ने त्रुटि कर वादीगण एवं प्रतिवादी कम 14 ता 18 का हिस्सा एक साथ 1/4 अंकित कर दिया गया जबकि वादीगण का हिस्सा सम्पूर्ण खाते में 1/4 व प्रतिवादी कम 14 ता 18 का हिस्सा 1/4 दर्ज होना चाहिए था जिसको वादीगण राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाने का कानूनन अधिकारी है। उक्त वर्णित आराजी शामलाती में दर्ज होने तथा अधिक खातेदार होने से वादीगण को अन्य काश्तकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में परेशानी आती है इसलिए वादीगण उपरोक्त वर्णित आराजी में से अपना हिस्सा 1/4 पृथक दर्ज करवाना चाहता है।
11. अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल ने अपने निर्णय दिनांक 23.12.2019 से वादी का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए अपने निर्णय में अंकित किया कि खाता संख्या नया 224 व पुराना 215 ग्राम भगवानपुरा, तहसील मांगरोल की कुल किता 6 रकबा 4.70 हैक्टर में से वादीगण कम 1 लगायत 3 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया जाये।
12. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.12.2019 से अप्रसन्न होकर अपीलांट/प्रतिवादी कम 1 लगायत 9 द्वारा न्यायालय हाजा में प्रकरण संख्या 2022/179 से दिनांक 20.10.2022 को अपील दायर कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 06.03.2018 को बिना अपीलांट/प्रतिवादी का जवाब लिए पत्रावली में अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी एकपक्षीय में नियत कर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दी गयी तथा दिनांक 17.12.2019 को मात्र वादी/रेस्पो. कम 1 के बयान लेखबद्ध कर पत्रावली में बहस सुनकर प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गयी। अपीलांटस का जवाब दावा प्रस्तुत न हो पाने के कारण वह वाद में अपना पक्ष व आपत्तियां प्रस्तुत नही कर सके है। अतः अपील स्वीकार कर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवायी हेतु रिमाण्ड फरमायी जावे।

13. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेंटगण की सहखातेदारी की आराजी है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न सम्मनों के अवलोकन के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की तामील हेतु प्रथम सम्मन दिनांक 22.09.2016 को जारी करते हुए प्रतिवादीगण को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए दिनांक 25.10.2016 नियत की गई। प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु जारी इन प्रथम सम्मनों की तामील रजिस्टर्ड डाक से करवायी गई है। पावती रसीदों के अवलोकन अनुसार अधिकांश प्रतिवादीगण पर सम्मनों की तामील व्यक्तिगत रूप से नहीं करवायी गई है। सम्मन प्राप्त करने वाले व्यक्ति का प्रतिवादी के साथ क्या सम्बन्ध है पावती रसीद पर अंकन नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28.06.2017 के अनुसार प्रतिवादी कम 2 के विरूद्ध एवं आदेशिका दिनाक 06.03.2018 के अनुसार अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अमल में लायी गई तत्पश्चात दिनांक 23.12.2019 को वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनकर वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिक्री किया गया एवं बंटवारा प्रस्ताव हेतु दिनांक 10.02.2020 नियत की गई। दिनांक 10.02.2020 को बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर आगामी तारीख पेशियों में कोरोना महामारी, चुनाव कार्य के कारण सुनवायी नहीं होना प्रतीत होता है। दिनांक 05.04.2021 को प्रतिवादीगण की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करने हेतु आर्डर 9 नियम 13 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र, धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ पेश करते हुए प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.12.2019 की पालना स्थगित करने हेतु आर्डर 41 नियम 5 (2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया। दिनांक 15.11.2021 को वादीगण द्वारा आर्डर 41 नियम 5 (2) सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने बहस प्रार्थना पत्र सुनते हुए अपने निर्णय दिनांक 15.09.2022 से प्रतिवादी कम 1 ता 9 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) को सम्मन की तामील सम्यक रूप से करवायी गई है तथा जवाब प्रस्तुत करने हेतु अनेक अवसर दिये गये हैं। इसी प्रकार धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र को परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 3 के अनुसार नियत समय के बाद पेश करने के कारण खारिज किया गया है।

14. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न सम्मनों की प्रतियों के अवलोकन अनुसार तामील हेतु प्रेषित प्रथम सम्मन रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किये गये और अधिकांश सम्मनों की तामील प्रतिवादीगणों पर व्यक्तिगत रूप से नहीं होने के कारण सी.पी.सी. के प्रावधानों की पालना होना नहीं पाया जाता। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.12.2019 के पश्चात सम्पूर्ण देश में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाऊन की स्थिति रहने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी (प्रतिवादीगण) के द्वारा प्रस्तुत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र को परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 3 के आधार पर खारिज करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत प्रतीत होता है।

15. प्रार्थी (प्रतिवादीगण) द्वारा अन्तर्गत आदेश 9, नियम 13 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ पेश पारिवारिक सजरा एवं फर्द के साथ पेश ग्राम बोरदा की जमाबंदियों के अनुसार विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया वादीगण का 1/4 हिस्सा साबित नहीं होता। ग्राम भगवानपुरा की विवादित आराजी की अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व पक्षकारों के पारिवारिक सजरे एवं ग्राम बोरदा के राजस्व रेकार्ड की जांच हेतु प्रतिवादी अपीलांट को अपना पक्ष रखते हुए साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत एवं पक्षकारान के मध्य भविष्य में होने वाले विवादों की बहुलता को ध्यान में रखते हुए हम आवश्यक समझते है। इसी प्रकार वर्तमान विवादित ग्राम भगवानपुरा की आराजी के सन्दर्भ में भी वादीगण द्वारा प्रस्तुत बन्दोबस्त जमाबंदी सम्वत 2044 से 2063 के पूर्व व बाद की जमाबंदियां पेश नहीं की गई है। वादीगण द्वारा सम्वत 2050 से 2053 की जमाबंदी पेश की है, जो दौराने सैटलमेंट की है। वादी के वाद पत्र की जांच हेतु विवादित आराजी की सैटलमेंट पूर्व की चौसाला जमाबंदी एवं सैटलमेंट बाद की अवधि की जांच होना अपेक्षित है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि राजस्व रेकार्ड में गलती किस कारण से और कब हुई। वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की है एवं अंतिम डिक्री जारी होना शेष है। अतः उपरोक्त तथ्यों की जांच हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज करते हुए प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

16. उपरोक्त विवेचन के आधार पर सम्मन तामील में सी.पी.सी. के प्रावधानों की पालना नहीं करने एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.2019 खारिज की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पैरा नं. 15 में किये गये विवेचन के कम में जांच करने हेतु प्रतिवादी अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवायी का अवसर प्रदान करने के पश्चात बाद जांच प्रकरण में पुनः नये सिरे से तनकीवार विधिवत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.09.2025 को उपस्थित होवे।

17. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08/08/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा